



# कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

दिनांक-02.04.2025

**विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना मण्डुवाडीह में पंजीकृत मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्ता को 01 माह का सश्रम कारावास व कुल 5,000/- रु0 का अर्थदण्ड ।**

थाना मण्डुवाडीह, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-236/2014 धारा 413,414 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्ता मीना उर्फ लक्ष्मीना पत्नी पारसनाथ निवासी श्रीनगर कॉलोनी थाना सारनाथ जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक मण्डुवाडीह व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-02.04.2025 को माननीय न्यायालय AC MAIN(UPSEB) जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्ता मीना उर्फ लक्ष्मीना उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 413 भा0द0वि0 में 01 माह के कठोर कारावास व 3,000/- रु0 के अर्थदण्ड से तथा धारा 414 भा0द0वि0 में 01 माह के कठोर कारावास व 2,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।